न्यूज ब्रीफ

नशे के लिए वाहन चुराने वाला बदमाश धराया

इंदौर। नशे की लत पूरी करने के लिए दोपहिया वाहन चुराने वाला बदमाश क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि द्वारकापुरी क्षेत्र में युवक सस्ते दाम पर बाइक बेचने घूम रहा है। सूचना पर यहां से योगेश उर्फ जीतू पंवार पिता प्रभाकर निवासी द्वारकापुरी को पकड़ा। आरोपी से तीन दिन पहले महू से चुराई बाइक क्रमांक एमपी 09 एनझेड 2243 बरामद की है।

मंगेतर पर आत्महत्या के मामले में केस दर्ज

इंदौर। चंदन नगर थाना क्षेत्र में युवती मोना विश्वकर्मा की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने मंगेतर देवेंद्र मुकेश विश्वकर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मोना ने 15 मई को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। स्वजन के मुताबिक देवेंद्र से रिश्ता तय हो गया था। घटना वाली रात वह घर आया और पत्थर फेंके। उसने मोना के साथ मारपीट की और धमकाया। इसी से परेशान होकर मोना ने खुदकुशी की थी।

बीड़ी के विवाद में हत्या करने वाला पकड़ाया

इंदौर। बीड़ी देने की बात पर हुए विवाद में अपने साथी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त तुषारसिंह के मुताबिक, 15 मई को किबे कंपाउंड में मनोहर पिता बाबूराव का खून से सना शव मिला था। पुलिस ने अज्ञात बदमाश पर धारा 302 का केस दर्ज कर तलाश शुरू की थी। आरोपी को पकड़ने टीम गठित करने के साथ ही घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जिस बदमाश ने मनोहर के साथ मारपीट की थी, वह सिटी बस स्टॉप हनुमान मंदिर के पीछे मधुमिलन चौराहा पर खड़ा है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर पुलिस पहुंची तो संदिग्ध बदमाश वहां से भागने लगा। पुलिस ने तत्काल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम करण उर्फ सचिन पितड़े निवासी वल्लभ नगर बताया। आरोपी ने पूछताछ में हत्या को अंजाम देना स्वीकार किया।

नगर निगम का फर्जी बिल घोटाला

मास्टर माइंड पूर्व कार्यपालन यंत्री फिर पांच दिन के पुलिस रिमांड पर

दस्तावेजी जांच के बाद तीन ठेकेदारों पर भी केस दर्ज, आरोपियों की संख्या 14 तक पहुंची

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

निगम के फर्जी बिल घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व कार्यपालन यंत्री अभय राठौर को कोर्ट ने तीसरी बार रिमांड पर सौंपा है। उसे शुक्रवार को एमजी रोड पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। यहां से 5 दिन की पुलिस हिरासत मिली है।

इसी मामले में गुरुवार को दस्तावेजी जांच के बाद पुलिस ने तीन अन्य ठेकेदारों पर केस दर्ज किया है। इस तरह आरोपियों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। जोन तीन के डीसीपी पंकज पांडे ने बताया कि दस्तावेजों की जांच के लिए 13 अधिकारियों की टीम लगाई गई है। वे खुद भी रोजाना 3 से 4 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दस्तावेजों की जांच निगम की टीम भी कर रही है। निगम की टीम ने जांच के बाद फर्जी तरीके से पैसे लेने के मामले में तीन ठेकेदारों की शिकायत की थी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बिल्किस खान निवासी माणिक बाग (फर्म डायमंड एसोसिएट्स), एहतेशाम खान (फर्म कास्मो इंजीनियरिंग) तथा जाहिद खान निवासी अशोका कॉलोनी (फर्म आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर) के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने निगम से 3 करोड़ 80 लाख रुपए लिए थे। मामले में पुलिस ने फरार चल रहे ठेकेदार इमरान खान (फर्म क्रिस्टल इंटरप्राइजेस) को मरीमाता चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है। इस पर पांच हजार रुपए का इनाम था। एक अन्य ठेकेदार मौसम व्यास (ईश्वर इंटरप्राइजेस) को पुलिस तलाश रही है।

परिजनों की बनाने लगी सूची

पुलिस ने आरोपियों की संपत्ति का सारा ब्योरा हासिल कर लिया है। शासकीय धन का दुरुपयोग करने वाले आरोपियों से अब राशि वसूली की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू की जाएगी। इसके लिए आरोपियों के अपनों (पत्नी, बेटे, बहू, भतीजे, भानजे) की संपत्ति की जांच की जा रही है। इसमें यह देखा जाएगा कि अपनों ने आरोपियों के पैसों से संपत्ति खरीदी या नहीं। यदि संपत्ति खरीदी की जानकारी मिलती है तो उसे जब्त किया जाएगा।

पैरेलल बनाई थी फाइलें

पुलिस के सूत्रों ने बताया कि आरोपी इतने शातिर हैं कि वे ओरिजनल दस्तावेजों को कूटरचित बनाकर लेखा सहित अन्य विभागों में भेजते थे। यहां से कूटरचित फाइलों से पेमेंट हासिल होता था। पूर्व में पकड़े गए एक आरोपी के अनुसार, कुछ फाइलों के पन्नों पर अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होने पर वे खुद हूबहू हस्ताक्षर कर देते थे। पेमेंट मिलते ही ओरिजनल दस्तावेजों को नष्ट कर देते थे।

आरोपियों को मिलेगा बचाव का रास्ता

मामले में जिस तरह के दस्तावेज नगर निगम ने पुलिस को सौंपे हैं, उनमें से कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं, जिनसे निगम यह सिद्ध नहीं कर पाएगा कि वह ओरिजनल है अथवा कूटरचित। कूटरचित दस्तावेज मिलने पर आरोपी को कोर्ट से जमानत और बरी होने में लाभ मिल सकता है।

अक्षय कांति बम की अग्रिम जमानत याचिका मामले में फैसला 24 मई को

रिवीजन याचिका में बम ने कोर्ट में दिया धारा 307 खत्म करने का आवेदन

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए अक्षय और उसके पिता कांति बम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बम की ओर से शुक्रवार को हाईकोर्ट में धारा 307 में अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया गया था। इस पर फरियादी के वकील मुकेश मुवेल ने आपत्ति दर्ज कराई। कोर्ट ने जमानत पर फैसला देने अगली तारीख 24 मई तय की है। इसी दिन बम की ओर से धारा 307 को लेकर दायर की गई याचिका पर रिवीजन किया जाएगा। रिवीजन याचिका में बम ने कोर्ट से उक्त धारा को समाप्त करने का आवेदन लगाया है। इस मामले में भी 24 को ही सुनवाई होगी।

जेल या बेल पर संशय- धारा 307 लगने के बाद बम परिवार की नींद उड़ गई है। इस धारा में आरोपी को कई बार आजीवन कारावास भी हो जाता है। यही कारण है कि बम परिवार धारा को खत्म कराना चाहता है। फरियादी के वकील की मानें तो 24 मई को सुनवाई के दौरान बम को जेल या बेल पर फैसला होगा।

नहीं मिल रहा आरोपी- खजराना पुलिस के सब इंस्पेक्टर अजयसिंह कुशवाह ने पुलिस टीम के साथ बम के निवास पत्रकार कॉलोनी में छापा मारा। घर पर ताला लगा हुआ था। बम के घर के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि उसके परिवार के लोग चार दिन से यहां से गायब हैं। पुलिस ने उसका गिरफ्तारी वारंट घर के मुख्य गेट पर चस्पा कर दिया है।

क्या है पूरा मामला

17 साल पहले खजराना में फरियादी यूनुस पटेल और उसके नौकर के साथ अक्षय कांति बम सहित कई लोगों ने मारपीट की थी। इस दौरान फरियादी को डराने की नीयत से आरोपियों ने हवाई फायर किया था। दबाव-प्रभाव में पुलिस ने सामान्य धाराओं में आरोपियों पर केस दर्ज किया था। वर्तमान में लोकसभा चुनाव के दौरान इस मामले की फाइल फिर खुली और फरियादी के वकील के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने धारा 307 लगाई थी।

विरोध स्वरूप वकीलों ने बांधी काली पट्टी

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

कोर्ट में समर वेकेशन को लेकर चीफ जस्टिस के निर्देश का वकीलों ने विरोध किया। विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधी गई। आगामी 24 मई को बार एसोसिएशन ने इस संबंध में बैठक भी आयोजित की है। जानकारी के मुताबिक, हर साल 15 मई से 15 जून तक न्यायालयों में समर वेकेशन (ग्रीष्मकालीन अवकाश) रहता है। 16 जून से कोर्ट में नियमित सुनवाई होती है। इस बार चीफ जस्टिस ने समर वेकेशन के समय में बड़ा बदलाव किया है। अब वेकेशन 1 जून से 30 जून तक रहेगा। अभिभाषक संघ इसी का विरोध कर रहे हैं। संघ का कहना है कि जून माह में मानसून आ जाता है। पूरे माह तक कामकाज नहीं होने से कोर्ट में केसों की संख्या बढ़ जाएगी।

मोइन हत्याकांड : मुख्य आरोपी आरिफ ने किया कोर्ट में सरेंडर

पुलिस को मिला 20 मई तक रिमांड, आरोपी से होगी कड़ी पूछताछ

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

आजाद नगर थाना क्षेत्र में 12 मई को हुए मोइन खान हत्याकांड के मुख्य आरोपी आरिफ खिलजी ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त विनोद मीणा ने 10 हजार का इनाम घोषित किया था। सरेंडर के बाद कोर्ट ने आरोपी को 20 मई तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। रिमांड के दौरान उसने फरारी काटने के स्थान, मददगारों आदि को लेकर पूछताछ की जाएगी। जोन 1 के एडिशनल पुलिस उपायुक्त आलोक शर्मा ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते उक्त हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। नयापुरा निवासी आरिफ ने आजादनगर निवासी मोइन पिता रफीक खान की शूटर शाकिर उर्फ भैया निवासी चंदननगर और अमन शाह निवासी चंदननगर को तीन-तीन लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई थी। हत्या में शूटरों के साथ अन्य बदमाश भी शामिल थे। हत्या के बाद से आरिफ फरार था। आरिफ की लड़की ने आठ माह पहले मोइन के भाई मुनव्वर से प्रेम विवाह किया था। तभी से आरिफ मोइन से बदला लेना चाहता था। तीन दिन पहले दोनों शूटरों शाकिर और अमन की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। इसमें शाकिर ने पुलिस पर तीन फायर किए थे। बचाव में पुलिस ने दो फायर किए थे। एक फायर शाकिर के पैर में लगने से वह घायल हो गया था। जबकि अमन को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। उधर, मोइन के परिजन सहमे हुए हैं। उन्हें भय है आरिफ गुंडों के बल पर धमका सकता है। परिजन आरोपी के डर से घर बेचकर जाने की तैयारी कर रहे हैं।

शराब माफिया को देते थे कंट्रोल दुकान का चावल

सैकड़ों क्विंटल चावल खरीदा था, सात व्यापारियों पर विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

प्रदेश के बड़े शराब कारोबारियों में शुमार केडिया ग्रुप कंपनी को कंट्रोल का चावल देने के मामले में खाद्य विभाग ने सात व्यापारियों पर बाणगंगा थाने में एफआईआर कराई है। यह चावल व्यापारी सतीश अग्रवाल के सांवेर रोड स्थित गोदाम में रखा था। यहां से 856.85 क्विंटल चावल, ट्रक और दो लोडिंग वाहन जब्त किए गए थे। कार्रवाई के दौरान विभाग को पता चला कि ग्रुप की ग्रेट गेजियन वेंचर्स लिमिटेड ने व्यापारियों से सैकड़ों क्विंटल चावल खरीदा था। गरीबों को दिए जाने वाला यह चावल सतीश और उसके बेटे सक्षम ने 8 और 16 मई को कथित व्यापारियों से लिया था। खाद्य नियंत्रक मोहन मारू ने बताया कि देवश्री ट्रेडिंग के प्रो. सक्षम को कुछ चावल आरवी एक्सपोर्ट कंपनी के प्रो. मनोज जमनादास रामचंदानी ने बेचा था। लंबे समय से बाणगंगा क्षेत्र में चावल की कालाबाजारी की शिकायत मिल रही थी।

शिकायत की सत्यता के लिए टीम गठित की थी। टीम ने औचक छापा मारकर उक्त चावल खरीदा था। छापे के दौरान गोदाम संचालक इसका बिल उपलब्ध नहीं करा पाया था। जांच के बाद शुक्रवार को विभाग ने चावल की कालाबाजारी में लिप्त आरोपी सतीश अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, मकसूद मोहम्मद, आशीष ठक्कर, अंकित तिवारी, मनोज रामचंदानी, इमरान मोहम्मद की शिकायत दर्ज कराई है।

प्राणघातक हमला करने वालों को 5 साल की कैद

मामूली विवाद में युवक पर किए थे चाकू से वार

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

अंडे का ठेला लगाने वाले युवक पर मामूली बात में विवाद के बाद हमला किया था। हमला करने वाले दो युवकों को 19वें अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक ने 5-5 साल की सजा सुनाई है। जोन 2 के डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा के अनुसार, 23 जनवरी 2023 को रात 11 बजे पीपल्याहाना कांकड़ पर ठेले पर अंडे बेचने वाला दीपक घर जा रहा था। रास्ते में बदमाश राहुल उर्फ छपरी कैथवास निवासी चांदमारी का भट्टा चंदननगर, अंशुल पिता मधुकर भालेराव निवासी पीपल्याहाना कांकड़ ने रोका और पैसे को लेकर विवाद किया। इसी दौरान बदमाशों ने दीपक पर डंडे, चाकू से कई वार किए। गंभीर घायल होने पर दीपक को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए चालान, दीपक व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान को विश्वसनीय मानते हुए आरोपियों को सजा सुनाई।

मोबाइल लूटने और बाइक चुराने वाले दो बदमाशों को किया अरेस्ट

सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा, आठ माह पहले दिया था वारदात को अंजाम

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

मोबाइल लूटने तथा बाइक चुराने वाले दो बदमाश लसूड़िया पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बदमाशों ने आठ माह पहले वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों को पकड़ने पुलिस ने टीम गठित की थी। मशक्कत के बाद पुलिस को सफलता हासिल हुई। जोन 2 के डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि 28 सितंबर 2023 को फरियादी सचिन पिता केदारसिंह राजपूत निवासी राजीव आवास विहार स्कीम नं. 114 ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा था। तभी मोटर साइकल पर सवार अज्ञात बदमाश मोबाइल छीनकर ले गए। मामले में आरोपियों पर धारा 392, 394, 34 का केस दर्ज किया था। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में आए हुलिए के आधार पर पुलिस ने आरोपी अभिषेक पिता गोपाल बिसे निवासी स्कीम नं. 78 को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसका साथी नितिन पिता अशोक कश्यप निवासी स्कीम नं. 78 घटना दिनांक से फरार था, जिसे मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।

इसी प्रकार, 10 मई को फरियादी मनोज पिता राजनारायण गुप्ता निवासी धीरज नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वाइन शॉप के सामने एमआर 11 से अज्ञात बदमाश उसकी बाइक चुरा ले गया है। मामले मे पुलिस ने पवन पिता मिश्रीलाल पंवार निवासी लसूड़िया मोरी को गिरफ्तार कर लिया है।

पॉक्सो एक्ट में आरोपी की दोषमुक्ति अपील निरस्त

शासन ने हाईकोर्ट में लगाई थी

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

पॉक्सो एक्ट में निचली अदालत से दोषमुक्त किए आरोपी को सजा दिलाने प्रदेश शासन ने हाईकोर्ट में अपील की थी। मामले में आरोपी के वकील के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने शासन की अपील को निरस्त कर दिया है।

पीड़िता ने 24 नवंबर 2021 को महू थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई की थी कि 20 नवंबर को सुबह 7 बजे घर पर वह तथा उसकी छोटी बहन थी। उसके माता-पिता बाहर गए हुए थे। घर का गेट खुला था और वह उसकी छोटी बहन को पढ़ा रही थी। इसी दौरान उसके घर में आरोपी संजू बिना पूछे घुस आया और उसने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम होने से पुलिस ने उस पर पॉक्सो की धारा लगाई थी।

न्यायालय में विचारण के दौरान प्रतिपरीक्षण में पीड़िता ने उसकी छोटी बहन का घर से बाहर होना उल्लेखित किया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट का देरी से दर्ज किए जाने का भी कोई उचित कारण पीड़िता द्वारा नहीं दिया जा सका। पीड़िता के पिता एवं आरोपी का प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज किए जाने के एक दिन पूर्व विवाद होने का पीड़िता के पिता द्वारा इनकार किया गया। परंतु उक्त तथ्य को पीड़िता द्वारा स्वीकार किया गया, इत्यादि तथ्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

उक्त दोषमुक्ति की अपील मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में की गई। उच्च न्यायालय में भी आरोपी के अधिवक्ता मनीष झारोला ने उक्त समस्त तथ्य उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। आरोपी के अधिवक्ता मनीष झारोला के तर्कों से सहमत होते हुए उच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरोपी की दोषमुक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को निरस्त कर दिया गया।

अज्ञात महिला का फोटो लगाकर जमीन बेची, तीन आरोपी पकड़ाए

दो साल पहले की थी धोखाधड़ी, लसूड़िया थाना क्षेत्र का मामला

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

अज्ञात महिला का फोटो लगाकर जमीन बेचने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों ने दो साल पहले धोखाधड़ी की थी।

लसूड़िया थाना प्रभारी तारेश सोनी को ग्राम लसूड़िया मोरी के सर्वे 268/2 भूमि को फरियादिया पुष्पा पति रवींद्र राठी निवासी जानकीनगर एनेक्स ने बताया कि मैंने वर्षा पति दिनेशचंद्र अग्रवाल से 4 जुलाई 2007 को जमीन खरीदी थी। इस जमीन को 9 मई 2022 को सागर डिंडोरकर, सोनू पंवार, विनोद कुशवाह, दिनेश चौहान, हर्ष भोंडवे, मनोज चौरसिया व अज्ञात महिला ने फर्जी तरीके से वर्षा अग्रवाल का आम मुख्यनामा तैयार किया और उस पर अज्ञात महिला का फोटो लगा लिया। बाद में फर्जी तरीके से मनीष सोनी के पक्ष में भूमि का विक्रय किया था । फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों पर धारा विभिन्न धाराओं केस दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी सागर डिंडोरकर निवासी तिलक पथ, सोनू पंवार निवासी वासुदेव नगर तथा दिनेश चौहान निवासी जूनी इंदौर को गिरफ्तार किया है।

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ओमकारा एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.
CIN: U67100TZ2014PTC020363 कार्पोरेट कार्यालय : कोहिनूर स्क्वेर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम) मुम्बई-400028 Email: rajesh.jumani@omkaraarc.com/zuber.khan@omkaraarc.com
अधिकृत ऑफिसर- M no.: +91 8657969231/+91 8657969233

[परिशिष्ट - IV-A] [नियम 8(6) आर/डब्ल्यू 9(1) का परंतुक देखें]
अचल संपत्ति की ई-नीलामी बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना
वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना
सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) आर/डब्ल्यू 9(1) के प्रावधान के साथ पढ़ें।

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज किया गया है, जिसका कब्जा ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। . इसके अलावा, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) (ओमकारा पीएस 06/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए) ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड से दिनांक 25/06/2021 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से नीचे दिए गए खातों के संपूर्ण बकाया ऋण प्राप्त कर लिए हैं। (असाइनर बैंक) असाइनर बैंक से अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ। तदनुसार, ओएआरपीएल ने असाइनर बैंक की भूमिका में कदम रखा है और बकाया वसूलने और प्रतिभूतियों को लागू करने का अधिकार दिया गया। ओएआरपीएल के प्राधिकृत अधिकारी ने उधारकर्ता/बंधककर्ता/सह-उधारकर्ता से नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों का भौतिक कब्जा सौंप दिया। ओएआरपीएल के प्राधिकृत अधिकारी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों को बेचने का इरादा रखते हैं और इसलिए सुरक्षित संपत्तियों की खरीद के लिए निविदाएं/बोलियां सीलबंद कवर में आमंत्रित की जाती हैं। संपत्तियों को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) और (4) के प्रावधानों के तहत अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेचा जाएगा; संबंधित उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता से सुरक्षित ऋणदाता के रूप में ओएआरपीएल के कारण संबंधित कॉलम में नीचे दर्शाई गई राशि की वसूली के लिए "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" और "बिना सहारा के आधार" पर आधारित है जो नीचे दिखाया गया है। उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं, प्रतिभूतियों, मालिक, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस की तिथि, कब्जा तिथि, आरक्षित मूल्य, बोली वृद्धि राशि, बयाना राशि जमा (ईएमडी), तिथि और का विवरण निरीक्षण का समय निम्नानुसार दिया गया है :

स. क्र.	ऋणकर्ता (ओं)/ जमानतदार/मार्टगेजर	सुरक्षित संपत्ति का विवरण	संपत्ति का मालिक	15.05.2024 तक बकाया राशि (रु. में)	मांग पत्र दिनांक	कब्जा दिनांक	आरक्षित मूल्य (रु. में)	बिड वृद्धि राशि (रु. में)	ईएमडी (रु. में)	निरीक्षण दिनांक एवं समय
1.	मेसर्स नोवो एंटरप्राइजेज (उधारकर्ता), श्री अमित चोपडा (गारंटर और पार्टनर), श्री जय प्रकाश मालवीय (गारंटर और पार्टनर), मधु चोपड़ा (गारंटर और मोर्टगेगोर),	प्लॉट नंबर 1732/बी, स्कीम नंबर 71, इंदौर, मध्य प्रदेश के साथ घर और इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्व: प्लॉट नंबर 1733 स्कीम नंबर 71, पश्चिम: प्लॉट नंबर 1731 स्कीम नंबर 71, उत्तर: 6.10 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण: खुली भूमि	श्रीमती मधु पति स्व. श्री सुरेंद्र चोपड़ा और श्री अमित पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र चोपड़ा	रुपये 91,77,775.03/- (रुपए इक्यानवे लाख सतहत्तर हजार सात सौ पचहत्तर और पैसे तीन मात्र)	05-02-2021	22-12-2023	रु. 62,00,000/- (रुपये बासठ लाख मात्र)	रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)	रु. 6,20,000/- (रुपये छह लाख बीस हजार मात्र)	07-06-2024 सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 तक (पूर्व नियुक्ति के अनुसार)

खाता संख्या: 344905001084, लाभार्थी का नाम: ओमकारा पीएस 06/2021-22 ट्रस्ट, बैंक का नाम: आईसीआईसीआई बैंक, शाखा: बांद्रा (ई) मुंबई, आईएफएससी कोड: आईसीआईसी0003449

ई-नीलामी की तारीख और समय- 26/06/2024 12:00 से 02:00 बजे तक | भागीदारी का बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 24/06/2024 शाम 5:30 बजे तक

नीलामी के नियम और शर्तें: बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया सुरक्षित ऋणदाता (ओएआरपीएल) http://omkaraarc.com/auction.php या सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://wwwBankeauctions.com.पर दिए गए लिंक को देखें।

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) आर/डब्ल्यू 9(1) के तहत बिक्री के लिए वैधानिक सूचना
यह नोटिस सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) आर/डब्ल्यू 9(1) के तहत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता को कम से कम 30 (तीस) दिनों का एक अनिवार्य नोटिस है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत उन्हें उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि और समय पर ई-नीलामी के माध्यम से नीलामी/बिक्री आयोजित करने के बारे में सूचित किया गया है। भुगतान में चूक के मामले में, संपत्ति प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के विवेक पर सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित किसी भी माध्यम से बेची जाएगी।
दिनांक : 18.05.2024
स्थान : इंदौर

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओमकारा पीएस 06/2021-22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए)